संख्या-246/2017/1867/22-2-2016-17(12)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी-लालपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू के अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/25.05.1999 की मध्यरात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,307,302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-4, मेरठ द्वारा दिनांक 25-08-2004 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2016 तक 16 वर्ष 06 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी द्वारा तिहरा हत्याकाण्ड जैसा अपराध कारित किया गया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु 64 वर्ष है परन्तु दोनों पक्षों में रंजिश के चलते रहने के कारण भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, एवं बन्दी एवं वादी पक्ष के बीच गम्भीर रंजिश को देखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बन्दी को जेल में रखने का प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर है जिसमें एक साथ तीन हत्यायें हुई है यह व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज को भी व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला है, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की प्रबल अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में पूर्ण रूप से सक्षम होने एवं गांव में गम्भीर रंजिश को देखते हुए जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू के अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/25.05.1999 की मध्यरात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 को घायल कर जघन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित मिस रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-26057(एम0/बी0)/2016 सुरेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-15729) पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-246/2016/1867(1)/22-2-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-246/2017/1867@22-2-2016-17(12)/2017

दिनांक 28 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-15729) पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी-लालपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू के अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/.25.05.1999 की मध्यरात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,307,302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-4, मेरठ द्वारा दिनांक 25-08-2004 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2016 तक 16 वर्ष 06 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी द्वारा तिहरा हत्याकाण्ड जैसा अपराध कारित किया गया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु 64 वर्ष है परन्तु दोनो पक्षों में रंजिश के चलते रहने के कारण भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, एवं बन्दी एवं वादी पक्ष के बीच गम्भीर रंजिश को देखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बन्दी को जेल में रखने का प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर है जिसमें एक साथ तीन हत्यायें हुई है यह व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज को भी व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला है, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की प्रबल अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में पूर्ण रूप से सक्षम होने एवं गांव में गम्भीर रंजिश को देखते हुए जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू के अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/.25.05.1999 की मध्यरात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in